प्रकरण संख्या 33/18 दावा

निर्णय दिनांक 15.05.2019

बउनवान

1. शंकरलाल पुत्र मांगीलाल जाति खटीकान मोहल्ला आभावास सीकर (राज0।
2. महेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति खटीक निवासी खटीकान चोक श्रीमाधोपुर, सीकर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव।
प्रतिवादीगण राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,209, आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी मुताबिक जमाबंदी संवत 2069 से 2072 खाता संख्या नई 242 के खसरा नबंर 1129 उत्तरी तरफ की रकबा 0.89 है0, किस्म दीगर पीवल लगानी 16.02 रूपये की वाके माल कनवास तहसील कनवास में स्थित है। जो वादीगण ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से नारायण पुत्र नाथूलाल मेहर के वारिसान बजरंगलाल, गजेन्द्र, कौशल्या, चन्द्रलेखा पुत्र/पुत्रीयां नारायण व कान्ति पुत्री स्व0 नारायणलाल से खरीद की थी जिसके आधार पर वादीगण के नाम नामा0 संख्या 193 दिनांक 20.09.2016 खुला एवं उक्त आराजी वादीगण के खाते दर्ज हो चूकी है।

यह कि वाद पत्र के पेरा नबंर 01 में वर्णित विवादित आराजी खसरा नबंर 1129 के हाल सेटलमेंट संवत 2058—2077 के पूर्व साबिक खसरा नबंर 1422/2352 थे, तथा खसरा नबंर 1422 से लगवा ही खसरा नबंर 1423 था तथा खसरा नबंर 1423 का रकबा 5 बीघा 02 बिस्वा था।

यह कि खसरा नबंर 1422/2352 की रकबा 11 बीघा आराजी थी जो नारायणलाल, रामगोपाल, पिसरान नाथूलाल मेहर कनवास के खाते दर्ज थी तथा दोनों भाईयों के बीच हुये बटवारे में नारायणलाल के उत्तरी तरफ की आराजी आई जिसके खसरा नबंर 1129 उत्तरी तरफ की रकबा 0.89 है0, कायम किये गये।

यह कि नारायणलाल जी उक्त विवादित आराजी पर शुरू से यहां काबिज काश्त थे उसी जगह काबिज काश्त रहे आजीवन उसी जगह काबिज होकर उक्त आराजी को काश्त करते रहे। तथा नारायणलाल जी की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान उक्त विवादित आराजी पर बदस्तूर काबिज काश्त रहे। तथा नारायणलाल जी वारिसान से उक्त विवादित खसरा नबंर 1129 उत्तरी तरफ की रकबा 0.89 हे0, आराजी वादीगण ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद की तथा जहां नारायणलाल जी के वारिसान काबिज काश्त थे। उसी जगह वादीगण ने कब्जा संभाला तथा

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

का रकबा 0.89 है0 किस्म दीगर पीवल लगानी 16.02 रूपये की वाके माल
कनवास तहसील कनवास जिला ...

उसी जगह पर काबिज काश्त हुये। तथा वादीगण वक्त खरीद से आज तक बदस्तूर उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

यह कि वादीगण ने वाद पत्र के पेरा नबंर 01 में वर्णित विवादित आराजी की पेमाईश करवाने के लिये एक प्रार्थना–पत्र तहसीलदार साहब को दिया जिस पर तहसीलदार साहब कनवास द्वारा सम्बन्धित पटवारी हल्का कनवास को सीमाज्ञान हेतु पत्र क्रमांक/भू0अ0/सीमाज्ञान/2018/एल0आर0/13–14 दिनांक 11.04.2018 प्रेषित किया जिस पर सम्बन्धित पटवारी हल्का कनवास द्वसास उिपसंक 06.06.18 को मौके पर सीमाज्ञान किया गया तथाा सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में आलेखित किया कि राजस्व रिकार्ड व मौके से मिलान करने पर उक्त खसरा नबंर 1129 की रकबा 0.89 हे0, में मौके पर कब्रिस्तान व कुछ हिस्सा नदी मोजूद है। जब कि वादीगण खातेदारान खसरा नबंर 1132 की रकबा 0.82 हे0, कि भूमि किस्म गै0मु0 नाला सिवाय रिकार्ड में शुद्वि किये बिना खसरा नबंर 1129 की रकबा 0.89 हे0 कि भूमि का सीमाज्ञान वादीगण के नाम से सम्भव नंही होना आलेखित किया जिसकी जानकारी वादीगण को नकल पटवारी रिपोर्ट निकलवाने पर हुई।

यह कि खसरा नबंर 1132 की रकबा 0.82 हे0, आराजी के हाल सेटलमेंन्ट संवत 2058 से 2077 के पूर्व साबिक खसरा नबंर 1423 की रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा थे। तथा खसरा नबंर 1422 एवं खसरा नबंर 1423 दोनों पास पास स्थित थे। तथा नारायणलाल जी मेहर व रामगोपाल जी का कब्जा सदेव से जिस जगह था वह खसरा नबंर 1422/2352 व 1423 के हिस्से पर ही था जो दोनों मिले हुये थे। तथा वादीगण भी आज भी उसी जगह काबिज काश्त है। जहां स्व0 नारायणलाल जी व उनके बाद उनके वारिसान काबिज काश्त थे।

यह कि वादीगण वर्तमान नक्शा ट्रेस व रिकार्ड के मुताबिक जिस जगह काबिज काश्त हैं उस जगह कुछ हिस्सा खसरा नबंर 1132 की रकबा 0.82 है, का आना पटवारी हल्का द्वारा बताया गया है। तथा वादीगण के खाते की भूमि खसरा नबंर 1129 की रकबा 0.89 है0, पर वर्तमान में कब्रिस्तान व कुछ हिस्सा नदी मोजूद होना बताया है। जब कि खसरा नबंर 1129 की रकबा 0.89 हे0, भूमि के वादीगण के खातेदार है।

यह कि वादीगण के खाते एवं कब्जे में भिन्नता आने वादीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा वादीगण के सामाने खाते व कब्जे की भिन्नता की गम्भीर समस्या पैदा हो गई है।

वादीगण द्वारा पुनः वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि माल ग्राम कनवास पटवार मण्डल कनवास तहसील कनवास जिला कोटा राज0 की जिस खसरा नबंर 1132 की रकबा 0.82 है0, सिवायचक भूमि तथा शेष 0.07 है0, भूमि पर जहां काबिज काश्त है उस भूमि का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित जावे तथा वादीगण की 0.89 है0, भूमि पुख्ता की जावें तथा इसके बदले वादीगण के खाते की भूमि खसरा नबंर 1129 को सिवाय चक दर्ज कर दिया जावे जिसके वादीगण सहमत है। साथ ही वादीगण जिस जगह 0.89 है0, भूमि पर काबिज काश्त है वहां का इन्द्राज दुरूस्त कर नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड में उस जगह खसरा नबंर 1129 दर्ज किया जावें तथा उस जगह खसरा नबंर 1132 दर्ज कर दिया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में बिन्दूवार निम्न प्रकार से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

1. प्रस्तुत दावे में बिन्दू संख्या 01 के संदर्भ में निवेदन किया कि पूर्व में भूमि खसरा नबंर 1129/0.89 है0 नारायण पुत्र नाथूलाल जाति मेहर के नाम दर्ज थी। विरासत से बजरंगलाल, गजेन्द्र पुत्र नारायण वगैरा के खाते दर्ज हुई। जो कि नामान्तकरण संख्या 993 दिनांक 20.09.2016 से बेचान होकर वादीगण के खाते दर्ज हुई।
2. बिन्दू संख्या 02 को स्वीकार करते हुये निवेदन किया कि वर्तमान खसरा संख्या 1129 सेटलमेंट से पूर्व 1422/2352 का हिस्सा था। तथा खसरा नबंर 1423 संलग्न था।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

3. बिन्दू संख्या 03 को स्वीकार करते हुये निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड अनुसार 1129 का बंटवारा होकर नारायण के खाते 1129/0.89 है0, तथा रामगोपाल को 1129 रकबा 0.89 है0, खाते दर्ज हुआ लेकिन मौका अनुसार नारायणलाल व रामगोपाल 1132 में ही काबिज है।
4. बिन्दू संख्या 04 कें संदर्भ में निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण 1129 में खातेदार है। लेकिन मौके पर 1132 में काबिज है। जो वर्तमान में भी 1132 में ही काबिज है।
5. बिन्दू संख्या 05 के संदर्भ में निवेदन किया कि सीमाज्ञान आदेश क्रमांक भू0अभि0/सीमाज्ञान/2018/एलआर/13–14 दिनांक 11.04.2018 की पालना में पटवारी हल्का झालरी द्वारा रिकार्ड व मौका का मिलान किया गया। तब बिन्दू संख्या 04 में वर्णित स्थिति का ज्ञान हुआ।
6. बिन्दू संख्या 06 के संदर्भ में निवेदन किया कि रिकार्ड अनुसार सेटलमेंट पूर्व 1422 व 1423 दोनों पास–पास हैं। लेकिन वर्तमान रिकार्ड व मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वादीगण 1132 में काबिज है।
7. शेष बिन्दु 07 ता 15 का जवाब दिया जाना आपेक्षित नंही समझा गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी जवाब सरकार को इकबाली मानते हुये तनकीयात कायम की आवश्यकता न बताते हुए साथ अन्य कोई साक्ष्य पेश न करने की मंशा जाहिर करते हुये सीधे बहस सुनी जाकर वाद निर्णित करने की प्रार्थना की गई।
हमने अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों का एवं वैधानिक पक्षों का अध्यन, विचारण करते हुए निर्णय किया कि वादी क्रयशुद्वा आराजी माल ग्राम कनवास तहसील कनवास के खसरा नबंर 1129 की रकबा 0.89 है0 भूमि का रिकोर्डेड खातेदार है।
वादी द्वारा एवं प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह कथन किया गया कि वादी खसरा नबंर 1132 किस्म गै0मु0नाला सिवाय चक रकबा 0.89 है0, पर काबिज है। वादी द्वारा स्वयं के खातेदारी की आराजी माल ग्राम कनवास के खसरा नबंर 1129 की रकबा 0.89 है0, पर कब्रिस्तान व कुछ हिस्से पर नदी तथा खसरा नबंर 1132 की रकबा 0.89 है0, भूमि पर स्वयं के लगातार कब्जा काश्त होने का कोई साक्ष्य पत्रावली में वादी द्वारा प्रस्तुत नंही किया गया है।
वादी द्वारा खसरा नबंर 1132 की रकबा 0.89 है0, भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जाने की प्रार्थना की गई।
विचारण न्यायालय द्वारा DV Civil writ Pettion 1536/2004 Abdul Rehman v/s State govt, Civil writ Pettion Jaipur Bench 5616/2001 Manoj Sharma v/s State govt and civil Writ Pettion IOC vs State govt में एवं माननीय न्यायालय Manoj Sharma v/s State govt में निर्णय दिनांक 22.01.2014 का अध्यन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टातों के प्रकाश में गै0मु0नाला किस्म को Rajasthan Tenancey act. 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित मानी जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। साथ ही उक्त न्यायिक दृष्टातों की पालना में तहसीलदार कनवास को निर्देशित किया जाता है कि वह खसरा नबंर 1132 गै0मु0नाला को कब्जे राज लिये जाने बाबत वादी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पुष्पा डूडवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

अतिरिक्त

डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

बउनवान

1. शंकरलाल पुत्र मांगीलाल जाति खटीकान मोहल्ला आभावास सीकर (राज0।
2. महेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति खटीक निवासी खटीकान चोक श्रीमाधोपुर, सीकर।

वादीगण

बनाम

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. **33/18** सन **2018** तारीख फैसला **15.05.2019 न्यायालय ब इजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री महेश कुमार मालव वादीगण** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी 01 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि माल ग्राम कनवास के खसरा नबंर 1129 की रकबा 0.89 है0, पर कब्रिस्तान व कुछ हिस्से पर नदी तथा खसरा नबंर 1132 की रकबा 0.89 है0, भूमि पर स्वयं के लगातार कब्जा काश्त होने का कोई साक्ष्य पत्रावली में वादी द्वारा प्रस्तुत नंही किया गया है। वादी द्वारा खसरा नबंर 1132 की रकबा 0.89 है0, भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जाने की प्रार्थना की गई। DV Civil writ Pettion 1536/2004 Abdul Rehman v/s State govt, Civil writ Pettion Jiapur Bench 5616/2001 Manoj Sharma v/s State govt and civil Writ Pettion IOC vs State govt में एवं माननीय न्यायालय Manoj Sharma v/s State govt में निर्णय दिनांक 22.01.2014 का अध्यन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टातों के प्रकाश में गै0मु0नाला किस्म को Rajasthan Tenancey act. 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित मानी जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। साथ ही उक्त न्यायिक दुष्टातों की पालना में तहसीलदार कनवास को निर्देशित किया जाता है कि वह खसरा नबंर 1132 गै0मु0नाला को कब्जे राज लिये जाने बाबत वादी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करें।

तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **15.05.2019** माह **मई 2019** को जारी की गई।

मोहर ....

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी

कनवास

मुद्दई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	----NIL----		स्टाम्प वकालतनामा	....	----NIL----	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वाबह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास